



प्रेस नोट

दिनांक 07.10.2024

अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना सुमेरपुर, कोतवाली नगर, सिसोलर व थाना चिकासी से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

1. अभियुक्त- अंकित तिवारी उर्फ ऋषभ तिवारी पुत्र बब्लू उर्फ संजय तिवारी निवासी मु0 मॉझखोर रमेडी थाना कोतवाली नगर हमीरपुर, दिनांक 27.09.24 से 06 माह ।
2. अभियुक्त बृजेश कुमार लोधी उर्फ बिज्जू पुत्र भगत सिंह राजपूत निवासी जिगना थाना चिकासी हमीरपुर, दिनांक 27.09.2024 से 06 माह ।
3. अभियुक्त कमल सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम गहतौली थाना सुमेरपुर हमीरपुर, दिनांक 25.09.2024 से 06 माह ।
4. अभियुक्त- विजय करन उर्फ बउवा पुत्र दयाराम खगांर निवासी ग्राम पचखुरा खुर्द थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.09.2024 से 06 माह।
5. अभियुक्त- जय प्रकाश द्विवेदी उर्फ बोंदा पुत्र हरिनारायण निवासी ग्राम धुन्धपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.09.2024 से 06 माह।
6. अभियुक्त- मिर्चू सिंह उर्फ जसवन्त सिंह पुत्र कंचन सिंह निवासी ग्राम ग्राम बैजेमऊ थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.09.2024 से 06 माह।